न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 34 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
गणपतसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह उम्र 54 साल जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर	1. प्रेमसिंह पुत्र उगमसिंह 2. जसवन्तसिंह पुत्र उगमसिंह 3. रूखमणकंवर पत्नी उगमसिंह 4. कैलाशकंवर पत्नी जसवन्तसिंह 5. दिनाकंवर पत्नी दलपतसिंह 6. श्रवणकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह 7. असबककंवर पत्नी लुणसिंह 8. असबकंवर पत्नी किशोरसिंह 9. तजकंवर पत्नी वीरसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाड़मेर 10. श्री तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03 / 2022 बअनवान प्रेमसिंह वगैरह बनाम गणपतसिंह वगैरह में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री 15.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 10.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 06 व अपीलकर्ता एवं अन्य उतरदातागण के खसरा नम्बर 970 रकबा 27.15 वीघा भूमि मौजा बाड़मेर आगोर में अवस्थित है। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 20.05 बीघा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 02.06.05 बीघा व प्रतिवादी संख्या 04 का 05.03.15 वीघा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्से अनुसार विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणीया, चारबाडे पशुबाडे व टांके बने हुए है ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त खेतो का बंटवाडज्ञ करने एवं अपने कब्जे एवं काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वादीगण ने इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाई तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद अपीलांटस जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई, इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत वाद में अपीलांटस के नाम भिजवाये सम्मन की प्रति पर डाक विभाग की रसीद लगी हुई जिसमें रजिस्टर्ड से सम्मन भिजवाने की दिनांक 15.01.2021 अंकित है तथा पत्रावली पर रजिस्टर्ड सम्मन डिलेवरी की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 दिवस की अवधि व्यतीत होने से पूर्व ही दिनांक 08.02.2022 को अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा उसी रोज प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.02.2022 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है, तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। हस्तगत वाद में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपीले रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान प्रेमसिंह वगैरह बनाम गणपतसिंह वगैरह में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री 15.03.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर